11/02/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अनु.। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय सलग्न से लिखाया जाकर शामिल किया गया। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/714

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:21 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बिमला आदि **बनाम** **रामकुमार**

किस्म मुकदमाः—212 आरटीए **प्रकरण संख्याः— 307/2024**

GCMS:- 2024/714

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी श्री कुलविन्द्र सिंह ने बताया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नं0 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में तहसील सरतगढ के चक 3 बीएमएम खाता नं0 244/167 प0न0 215/56 (59) कि0न0 4/1 से 7, 13, 14, 17/2, 18/2, 23/2 = 2.087 है0, प0न0 216/49 (60) कि0न0 1 ता 8 = 2.024 है0 कुल 4.111 है0 क0 मय खाला खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज हैं। उक्त खाता में प्रार्थीगण 4/20 हिस्सा ब0हि0ब0 व अप्रार्थी नं0 1 ता 4, 4/5 हिस्सा ब0हि0ब0 के खातेदार दर्ज हैं। जमाबंदी की प्रति संलग्न मिसल हैं। जैर रकबा में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का घरू बंटवारा किया हुआ हैं। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में चक 3 बीएमएम प0न0 215/56 (59) कि0न0 5/0.253 है0, 6/1/0.228 है0, 6/2/0.025 है0, 14/0.253 है0, 17/2 में 0.063 है0 पासा उतर = 0.822 है0 रकबा पर कब्जा काश्त हैं। जिसे प्रार्थीगण खाता विभाजन में प्राप्त करने के हकदार हैं। अप्रार्थीगण चतुर एवं शातिर किस्म के व्यक्ति हैं। इसलिये प्रार्थीगण को उनके हितो से महरूम रखने की फिराक में हैं। प्रार्थीगण की सुधारी हुई भूमि पर काबिज होकर उनको बेदखल करना चाहते हैं। इसलिये खाता विभाजन होने तक अप्रार्थीगण को कब्जा काश्त की भूमि में दखलादांजी नही करने, एवं विवादित रकबा की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित हैं। प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी नं0 2 श्री राकेश सारस्वत ने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि जैर वाद रकबा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज हैं। खाता विभाजन अभी तक किया हुआ नही हैं। संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक काश्तकार का इन्च–इन्च भूमि पर कब्जा माना जाता हैं। प्रार्थीगण द्वारा जो कब्जा काश्त दर्शाई हैं मात्र अपने कयासो के आधार पर दर्ज करवाई गई हैं। कब्जा काश्त की बाबत कोई लिखित बंटवारनामा पेश नही किया गया हैं। अतः मौखिक कथनो के आधार पर घरू बंटवारा होना नही माना जा सकता हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जैर वाद रकबा को संयुक्त रूप से काश्त करते हैं। खाता विभाजन से पूर्व सहखातेदारो को उसके हिस्से की भूमि को काश्त करने एवं सिचांई सुविधा प्राप्त करने में अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही हैं। अप्रार्थीगण सहखातेदार हैं। प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से के रकबा को सुधारने, केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ लेने, कृषि भूमि सुधार हेतु ऋण लेने का पूरा अधिकार हैं परन्तु अप्रार्थीगण को उनके इसी अधिकार से वंचित करने के लिये प्रार्थीगण मिथ्या कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। अप्रार्थीगण जैर वाद रकबा में सहखातेदार हैं। इसलिये एक खातेदार कृषक होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन अप्रार्थीगण के हक में साबित हैं। प्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त करने की चेष्टा की हैं इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में साबित नही हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी अपने–2 हिस्से की भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते हैं अतः न पूरा होने वाला नुकसान प्रार्थीगण को नही हैं। जबकि प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अप्रार्थीगण सरकारी योजनाओ का लाभ लेनें, कृषि भूमि सुधार हेतु ऋण लेने, कृषि कार्य में सहयोग हेतु [illegible] पर ऋण लेने, सिंचाई सुविधा हेतु टयूबवैल क्नेकशन लेने आदि में समस्या आ रही हैं जिस कारण से न पूरा होने वाला नुकसान अप्रार्थीगण को हो रहा हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावें। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:21 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2025	बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से साबित हैं कि रकबा संयुक्त खाता में हैं। घरू बंटवारा साबित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया हैं। मात्र मौखिक कथनो के आधार पर घरू बंटवारा होना नही माना जा सकता। अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर केवलमात्र प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का ही देखा जाना हैं। अप्रार्थी नं0 1 ता 4 इस भूमि के सह खातेदार हैं। संयुक्त खाता में सभी सहखातेदारो का इन्च–इन्च भूमि पर कब्जा एवं स्वामित्व माना जाता हैं। इसलिये किसी भी सहखातेदार को उसके हिस्से की भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित नही किया जा सकता हैं एवं ना ही सहखातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जा सकती हैं। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण के हक में साबित नही होती हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हम निरस्त करना उचित समझते हैं। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. आधारहीन होने से अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.11.2024 निरस्त की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संदीप कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.18 11:04:21 IST
Reason: SelfAttested